सप्तदश माला, खंड 15, अंक 18 **बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021**
1 पौष, 1943 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

मदन कुमार मिश्र
उप निदेशक

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 15, सातवां सत्र, 2021 / 1943 (शक)
अंक 18, बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 / 1 पौष, 1943 (शक)

विषय		पृष्ठ संख्या
नियम 377 के अधीन मामले		12-54
(एक)	बुंदेलखण्ड को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता **कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल**	12
(दो)	ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाए जाने तथा उन्हें मिल रहे आरक्षण के लाभ को बंद किए जाने की आवश्यकता **श्री सुदर्शन भगत**	13-14
(तीन)	झारखण्ड के पूर्व सिंहभूम जिले में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता **श्री बिद्युत बरन महतो**	15
(चार)	मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूजल स्तर में आ रही गिरावट के बारे में **श्री विवेक नारायण शेजवलकर**	16

(पाँच) उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 257सी पर एक भूमिगत पारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 17

(छह) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धानेरा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल 18

(सात) सन्नति को विश्व विरासत के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

डॉ. उमेश जी. जाधव 19

(आठ) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पेट्रो केमिकल परिसर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते 20

(नौ) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु भाषा सूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर 21

(दस) डिजिटल लेन-देनों पर अधिरोपित शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 22

(ग्यारह) झारखंड से विभिन्न राज्यों में हो रहे बाल-दुर्व्यापार को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सेठ 23

(बारह) भगवान बुद्ध के अस्थिकलश के स्थान में परिवर्तन किए जाने के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल 24

(तेरह) मुम्बई में 26/11 हमले की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री अधीर रंजन चौधरी 25

(चौदह) 'अनइमलई रोड' रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन कर हॉल्ट स्टेशन से क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाने तथा वहां सभी यात्री एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में

श्री के. षणमुग सुंदरम 26

(पंद्रह) विरुद्धनगर जिले के वतिरारुप्पू और थेनी जिले के बीच सड़क सम्पर्क के बारे में

श्री धनुष एम. कुमार 27

(सोलह) वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर सबमर्सिबल वाटर पम्प लगाए जाने के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल 28

(सत्रह) नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मामलों के बारे में

श्रीमती चिंता अनुराधा 29

(अठारह) महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों को जलमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री राजन बाबूराव विचारे 30

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में

श्री श्याम सिंह यादव 31

(बीस) मेडिकल कॉलेजों में नॉन मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम सीमा को कम किए जाने संबंधी नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. सेल्वराज 32

(इक्कीस) सोलर चर्खे से निर्मित धागे को 'खादी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यदेव पचौरी 33-34

(बाईस) झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को जोड़ने और जलाशय योजनाओं के बारे में

डॉ. निशिकांत दुबे 35-36

(तेईस) नन्दुरबार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत 37

(चौबीस) ओडिशा के बारगढ़ जिले में सम्बलपुरी वस्त्रों के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री बसंत कुमार पांडा 38

(पच्चीस) बिहार में सिवान से गरखा तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 39

(छब्बीस) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा उपकरण निर्माण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया 40

(सत्ताईस) बैंको द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों में लोक सभा सदस्यों की भागीदारी के बारे में

श्री अरुण कुमार सागर 41

(अट्ठाईस) बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की रोजगार संभावना के बारे में

श्री अनुराग शर्मा 42

(उनतीस) ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन के क्षेत्राधिकार में कुछ रेल खंडों को शामिल किए के बारे में

श्री नितेश गंगा देब 43

(तीस) अजमेर-चंडीगढ़ राजमार्ग या किशनगढ़-हनुमानगढ़ बृहत् राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित और घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भागीरथ चौधरी 44

(इकतीस) किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीना 45

(बत्तीस) ओडिशा में तटीय नहर को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी 46

(तैंतीस) तेलंगाना में जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में

श्री उत्तम कुमार रेड्डी 47

(चौंतीस) आन्ध्र प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के बारे में

श्री मदीला गुरुमूर्ति 48

(पैंतीस) यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट दिए जाने के बारे में

श्री मारगनी भरत 49

(छत्तीस) आशा कर्मियों की वित्तीय सुरक्षा के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 50

(सैंतीस) महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फेरो एलॉय परियोजना की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता 51

श्री कृपाल बालाजी तुमाने

(अड़तीस) बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 52

(उनतालीस) ओसीआई कार्डहोल्डर्स से संबंधित सरकारी अधिसूचना के बारे में

श्री जयदेव गल्ला 53

विदाई संबंधी उल्लेख 54-56

राष्ट्रीय गीत 56

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 / 1, पौष 1943 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

नियम 377* के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल और आज के नियम-377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।

… (व्यवधान)

(एक) बुंदेलखण्ड को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखंड की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा कृषि के तरीकों और गौधन की उपलब्धता को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में भी बुंदेलखंड को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र घोषित करने की मांग की जाती रही है | अभी हाल में सरकार द्वारा जीरो बजट आधारित प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किया गया और कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं |

बुंदेलखंड में वर्षों से पारंपरिक तरीके से ही कृषि की जा रही है और यहाँ पर देसी गोवंश भी बहुतायत में है। उर्वरकों का कम प्रयोग और देसी गोवंश के उत्पादों का प्रयोग जो कुछ समय पहले पिछड़ेपन का संकेत था आज वही बुंदेलखंड की अपूर्व विकास संभावनाओं का संकेतक है | जरुरत है केवल पुनरावलोकन की | केंद्र सरकार द्वारा कृषि और किसानों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की साक्षात प्रयोगस्थली बुन्देलखण्ड है और यहाँ पर किए प्रयास पूरे भारत के लिए मॉडल सिद्ध हो सकते हैं |

अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बुंदेलखंड में खेती और गोवंश के समुचित विकास के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र घोषित किया जाए |

---

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(दो) **ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाए जाने तथा उन्हें मिल रहे आरक्षण के लाभ को बंद किए जाने की आवश्यकता**

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मैं सरकार का झारखंड राज्य सहित सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जनजाति समाज से धर्मांतरित होकर अन्य धर्म में जाने के पश्चात भी अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण लेते रहने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ| अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने का मतलब यह है कि आदिवासी परंपरा उसे पसंद नहीं है। अर्थात जब सभ्यता और संस्कृति से ही किसी ने नाता तोड़ लिया तो फिर उसके नाम पर अधिकार का दावा क्यों? आरक्षण उसे ही मिलना चाहिए जो आदिवासी है। धर्मांतरण कर चुके लोगों को चिन्हित कर उनके दोहरे लाभ के अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह बाकी अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन है।

झारखंड के लोकप्रिय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव द्वारा भी सन 1968 में धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके जनजातीय समुदाय के लोगों को अधिसूचित समुदाय से बाहर करने के लिए संसद में एक बिल प्रस्तुत किया था। आज उनके द्वारा उठाई गई आवाज की गूंज फिर सुनाई देती है। झारखंड में यह मांग बड़े पैमाने पर उठ रही है मिशनरियों के प्रभाव में आकर इसाई बन चुके आदिवासियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करना चाहिए। धर्मांतरित और गैर धर्मांतरित आदिवासियों के बीच का अंतर्संघर्ष भी इस मुद्दे को लेकर बार-बार सतह पर आता रहता है। मुझे लगता है कि ज्यादा दिनों तक यह सब नहीं चलेगा। दूसरा धर्म भी अपनाना है और आदिवासियों की हकमारी भी करनी है यह जनजाति समाज के साथ अन्याय है।

संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण विशेष का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के नाम पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है न कि धर्म के आधार पर। अतः मेरा सरकार से आग्रह है, कि जैसे ही वे धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनते हैं तो उनका नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर देना चाहिए और आरक्षण का लाभ समाप्त कर देना चाहिए

। जो लोग अनुसूचित जनजाति में नियमतः आते हैं, केवल उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए तभी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सकेगी।

(तीन) झारखण्ड के पूर्व सिंहभूम जिले में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की भारी कमी के कारण दिन भर में मात्र 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पाती है जिसके कारण वहां की जनता को नाना प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसानों को खेती पटवन एवं छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाता है। विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उज्ज्वला योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत आज घर-घर में बिजली पहुंची है तथा कनेक्शन के साथ मीटर लगा हुआ है। झारखंड राज्य में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लगभग 22-23 घंटे बिजली जनता को मिलती थी। परंतु वर्तमान राज्य सरकार में जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है। जनता की कठिनाइयों को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत चाकुलिया में लगभग 400-500 एकड़ भूमि वर्षों से खाली पड़ी हुई है उक्त खाली पड़ी भूमि पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा सकती है जिससे बिजली की समस्या को दूर किया जा सके।

अतः माननीय विद्युत मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध है कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुए जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में सोलर पावर प्लांट लगाने की कृपा की जाय।

(चार) मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूजल स्तर में आ रही गिरावट के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): जल जीवन मिशन योजना (हर घर जल योजना) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदाय हेतु अधिकतर योजनायें भूजल पर आधारित हैं। लगभग सारे देश में भूजल स्तर लगातार तेजी से नीचे जा रहा है।

मेरे ग्वालियर लोक सभा क्षेत्र की भितरवार विधानसभा के बरई, रानीघाटी, आरोन, पाटई सहित 33 से भी अधिक गांव लगातार घटते भू-जल स्तर के कारण जल संकट से जूझ रहे है, स्थिति यह है कि 800 फीट तक भी पानी नहीं निकल रहा है। किसान सिंचाई के लिये पानी के अभाव में पलायन करने के लिये मजबूर है। भूजल की वर्तमान स्थिति को सुधारने एवं समस्या के स्थायी समाधान हेतु भू पृष्ठ जल के स्रोत विकसित करने हेतु प्रावधान किये जाना समय की मांग है।

मेरा माननीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध है कि केन्द्र की ओर से एक जलविशेषज्ञ सर्वेक्षण टीम भू-जल स्तर के कारण जल संकट से जूझ रहे भितरवार क्षेत्र में भेजी जाये।

(पाँच) उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 257सी पर एक भूमिगत पारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) के जनपद हरदोई में सुठेना रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 257 सी पर अंडरपास/रेलवे ओवर ब्रिज न होने की वजह से आवागमन में काफी असुविधा हो रही है तथा आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी कई-कई घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

सरकार को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सुठेना के निकट बालामऊ जंक्शन के गेट संख्या 258सी पर गाड़ियों की शंटिंग और अप डाउन लाइन पर रनथू गाड़ियां पास होने से क्रॉसिंग कई-कई घंटों तक बंद रहती है और फाटक की रोड पर मुख्य बाजार होने से भीड़-भाड़ की अधिकता रहती है। ट्रक पिकअप इत्यादि वाहनों का आवागमन बाजार के मुख्य मार्ग से होता है, जिस कारण भीड़-भाड़ होने की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि सुठेना रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 257सी पर एक अंडरपास/आरओबी बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सहित।

(छह) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धानेरा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (**बनासकांठा**): सरकार का ध्यान केन्द्रित करते हुए कहना है कि मेरे बनासकांठा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत धानेरा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव किया जाये जो कि समदडी भीलडी रेलवे खंड से गुजर रही हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है –

1. बीकानेर दादर एक्सप्रेस (02489/02490)
2. जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस (02483/02484)
3. भगत की कोठी बांद्रा एक्सप्रेस (04817/04818)
4. बाड़मेर यशवंतपुर एक्सप्रेस (04805/04806)
5. जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस (04803/04804)

उपरोक्त सभी गाड़ियों का धानेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप हटाया गया है जिससे क्षेत्र के एवं बाहर से इलाज एवं अन्य कार्यों के लिए आने वाले यात्रियों को असुविधा होती है।

अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि धानेरा रेलवे स्टेशन पर उक्त गाड़ियों का ठहराव पुनः शुरू करने की कृपा करें।

(सात) सन्नति को विश्व विरासत के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): कलबुरगी के चित्तपुर तालुक में भीमा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है सन्नति, जहां मंदिर की आधारशिला में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान अशोक के शिलालेख पाए गए थे जिसने पूरे भारत के इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया । इस खोज के बाद ए.एस.आई. द्वारा सन्नति और पास के कनगनहल्ली में खुदाई शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप शानदार उस महा स्तूप की खोज सामने आई, जिसे शिलालेखों में अधोलोक महा-चैत्य (अधोलोक का महान स्तूप) के रूप में संदर्भित किया गया था। . इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी रानियों के साथ सिंहासन पर बैठे अशोक का एक मूर्ति-चित्र भी खोजा गया था। यह मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से भी प्राचीन है।

यह भी माना जाता है कि सन्नति वह स्थान है जहां सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में यात्रा की थी और अंतिम सांस ली थी। अतः मैं माननीय संस्कृति मंत्री से आग्रह करता हूँ कि कृपया इस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विकसित करें और विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण करके उत्खनन के दौरान पाई जाने वाली वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें। सन्नति ए.एस.आई. द्वारा खुदाई किया गया भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद यह क्षेत्र भारत के मानचित्र पर नहीं है।

(आठ) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पेट्रो केमिकल परिसर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र देश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विकास हेतु विदर्भ इकॉनोमिक डेवलेपमेंट काउंसिल (वेद) और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के द्वारा यहां पर पेट्रो केमिकल्स कॉम्पलेक्स की स्थापना किए जाने की मांग विगत काफी समय से की जा रही है तथा जून, 20 21 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में तत्कालीन केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री से राज्य के प्रतिपक्ष नेता की भेंट के दौरान विदर्भ इकॉनोमिक डेवलेपमेंट काउंसिल (वेद) के अनुरोध पर विदर्भ क्षेत्र में पेट्रो केमिकल्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु फिजिबिलिटी स्टडी कराए जाने हेतु प्रस्ताव भी दिया गया था। लेकिन, अब तक इस प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप यह कार्य अधर में लटका हुआ है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र विदर्भ में पेट्रो केमिकल्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु फिजिबिलिटी स्टडी का अविलंब अवलोकन करवाकर इसकी स्थापना किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए, जिससे विदर्भ क्षेत्र का विकास हो सके और यहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार सुलभ हो सके।

(नौ) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु भाषा सूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर (**दरभंगा**): केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी.टी.ई.टी) का आयोजन 20 भारतीय भाषाओं में होता है। इन भारतीय भाषाओं के नाम अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू है।

मैथिली भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल है तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वर्ष 2018 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की आठवीं कक्षा व उससे आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। मैथिली, मिथिला के विशाल जनसमूह और सांस्कृतिक परंपरा का उद्घोषक है एवं 8 करोड़ मिथिलावासियों की स्थानीय मातृभाषा है।

मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में पढ़कर विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग(संघ लोक सेवा आयोग) और बिहार लोक सेवा आयोग(बी.पी.एस.सी.) परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अधिकारी (कलेक्टर/बी.डी.ओ.) के पद पर आसीन हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भी क्षेत्रीय भाषा (स्थानीय मातृभाषा) को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया गया है।

माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी.टी.ई.टी.) में मैथिली भाषा को शामिल किया जाए, ताकि मैथिली भाषा को बढ़ावा मिल सके।

(दस) डिजिटल लेन-देनों पर अधिरोपित शुल्क हटाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): हाल के वर्षों में सरकार ने देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। गत कुछ वर्षों से डिजिटल भुगतान लेनदेन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016-17 में डिजिटल लेनदेन की संख्या 1004 करोड़ रूपये थी जो गत चार वर्षों में बढ़कर वर्ष 2020-21 में 5554 करोड़ रूपये हो गयी है। यह कुल लेनदेन का लगभग 39 प्रतिशत है। परंतु ऑनलाइन लेनदेन और भुगतान के लिए एक बड़ी बाधा उच्च प्रसंस्करण शुल्क और लेनदेन शुल्क है जो ग्राहकों से वसूला जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा किये जाने वाले लेनदेन पर 1% का शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार के शुल्क के कारण नागरिक स्वाभाविक ही डिजिटल भुगतान करने में हतोत्साहित होंगे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि डिजिटल भुगतान को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन में लिए जा रहे शुल्क को समाप्त किया जाये।

(ग्यारह) झारखंड से विभिन्न राज्यों में हो रहे बाल-दुर्व्यापार को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सेठ (राँची): झारखण्ड देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां से हर साल सबसे अधिक मानव तस्करी के शिकार बच्चे और बच्चियां हो रहे हैं। पहले जहां सबसे अधिक दिल्ली, हरियाणा में झारखंड की बच्चियां बेची जाती थी, वहीं अब उन्हें मजदूरी के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में ले जाया जा रहा है।

मैं बताना चाहता हूँ कि मानव तस्कर इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी का सहारा लेते है। दिल्ली में ऐसी कई प्लेसमेंट एजेंसी काम कर रही है, जो झारखंड के बच्चों को बरगला कर दिल्ली लाती है। इन बच्चों को बढ़िया नौकरी दिलाने के नाम पर झारखण्ड से दिल्ली लाया जाता है। मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी की वैधता की जाँच किसी स्वतन्त्र एजेंसी से कराए। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में भी एक एएचटीयू खुले, जहाँ जीरो एफआईआर दर्ज हो। यहां पुलिस बल की तैनाती हो क्योंकि झारखंड के बच्चों को सबसे अधिक दिल्ली में ही बेचा जा रहा है।

इस मामले में राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र कमिटी बनाई जाए और इसकी विस्तृत जांच हो। मानव तस्करी को राष्ट्रीय अपराध घोषित कर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएं।

(बारह) भगवान बुद्ध के अस्थिकलश के स्थान में परिवर्तन किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। हर साल लाखों बौद्ध पर्यटक कपिलवस्तु आते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने पिपरहवा, कपिलवस्तु में एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की तथा पुरातत्व विभाग और कोलकाता विश्वविद्यालय की खुदाई में मिली सभी वस्तुओं को उक्त संग्रहालय में रखा गया है। हालाँकि, यहाँ से खोदी गई दो अस्थियाँ वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में रखी गई हैं, इस तथ्य के बावजूद कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष कपिलवस्तु में बिताए थे, और इसलिए, बौद्ध भक्तों के लिए कपिलवस्तु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि अस्थियों को वहाँ से पिपरहवा, कपिलवस्तु स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित किया जा सके, तो बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लाखों पर्यटक हर वर्ष सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावसी के साथ-साथ इन अस्थियों के दर्शन हेतु भी भ्रमण कर सकेंगे। विदेशी मुद्रा से राजस्व बढ़ेगा। साथ ही "ध्यान" बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए बौद्ध भक्तों के लिए संग्रहालय के पास एक "ध्यान केंद्र" होना भी आवश्यक है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय पुरातत्व और संस्कृति विभाग को भगवान बुद्ध की अस्थियों को स्थानांतरित करने और बौद्ध भक्तों के लिए एक "ध्यान केंद्र" स्थापित करने का निर्देश दे।

(तेरह) मुंबई में 26/11 हमले की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): 13 वर्ष पहले भारत की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई में हुई 26/11 की दिल दहला देने वाली आतंकी घटना, जो भारत के इतिहास के काले दिनों में से एक है,उसकी स्मृति आज भी हमारे ज़ेहन में है| यह भयावह घटना हमारी आने वासी पीढ़ियों की स्मृतियों को भी झकझोरती रहेगी। आतंकवादियों के स्रोत के रूप में कुख्यात पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और निर्देशित आतंकवादियों द्वारा विदेशी नागरिकों, पुलिस सेना सहित सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी । इस भीषण घटना में हमारे अनेक ऐसे निडर योद्धा भी निकले जिन्होंने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया और लंबी मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया। इस घटना के पीड़ितों और शहीदों की एक लंबी सूची है। इस वर्ष, 26/11अन्य सामान्य दिनों की तरह ही बीत गया, घटना की याद में यत्र-तत्र केवल कुछेक छोटे-मोटे कार्यक्रम ही देखने को मिले । मेरा मानना है कि हमें अपना बहुमूल्य जीवन गँवाने वाले उन लोगों के सम्मान में इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की स्मृति को उचित तरीके से स्थान मिलना चाहिए। मैं सरकार से 26/11की याद में मुम्बई में एक स्मारक बनाने का आग्रह करता हूं।

(चौदह) 'अनइमलई रोड' रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन कर हॉल्ट स्टेशन से क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाने तथा वहां सभी यात्री एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में

श्री के. षणमुग सुंदरम (पोलाची): तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित अनइमलई रोड रेलवे स्टेशन अनइमलई और वालपरई तालुकों के लिए एकमात्र रेलवे स्टेशन है। यह दक्षिणी रेलवे के पोल्लाची-पालक्काड़ खंड में स्थित है। वालपरई एक प्रसिद्ध पहाड़ी इलाका है और अनइमलई बाघ अभयारण्य यहीं स्थित है। अनइमलई स्थित अनइमलई मसानी अम्मन मंदिर (सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन : ' अनइमलई') एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहाँ तमिलनाडु,आंध्र प्रदेश और केरल के हज़ारों तीर्थयात्री दर्शनार्थ आते हैं। हाल ही में घोषित पोलाची - पालक्काड़ अनारक्षित एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन (ट्रेन संख्या 06731/06732) का ठहराव ' अनइमलई रोड' रेलवे स्टेशन पर प्रदान नहीं किया गया है। मैं रेलवे से अनुरोध करता हूँ कि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों तथा वालपरई और अनइमलई तालुकों की आम जनता की सुविधा के लिए अनइमलई रोड' स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए यहां ठहराव प्रदान करें | साथ ही, हमारा अनुरोध है कि ' अनइमलई रोड' रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन कर 'हाल्ट स्टेशन' से 'क्रॉसिंग स्टेशन' किया जाए।

(पंद्रह) विरुधुनगर जिले के वतिरारुप्पू और थेनी जिले के बीच सड़क सम्पर्क के बारे में

श्री धनुष एम. कुमार (तेनकासी): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी में विरुधुनगर जिले के वतिरारुप्पु और थेनी जिले *के बीच* वरुसनडु वन क्षेत्र से होकर सड़क संपर्क प्रदान करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो इससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी यात्रा के समय को कम करने के अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह के बीच बेहतर सड़क संपर्क स्थापित होगा। अतः, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के हितार्थ इस मांग को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

(सोलह) वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर सबमर्सिबल वाटर पम्प लगाए जाने के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल (बर्धमान पूर्व): मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिम बंगाल राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बर्धमान **पूर्व** में सौर सबमर्सिबल वाटर पंप की स्थापना किए जाने की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि किसानों को बिजली से चलने वाले सबमर्सिबल पंप का बिजली के बिल का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, इस संबंध में, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कालना, कटवा, मेमारी, पुर्बोस्थली उत्तर, पुर्बोस्थली दक्षिण, रैना और जमालपुर में खेती और सिंचाई को आसान बनाने के लिए सिंचाई के लिए सौर सबमर्सिबल पानी के पंप स्थापित करने का निर्णय लिया है। 75% से 85% लोग एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. समुदाय से हैं। इस क्षेत्र में कृषि गतिविधियों का बाहुल्य है और यहाँ कोई उद्योग नहीं है। जीविका अर्जन के लिए कृषि ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई) के तहत सौर सिंचाई पंप स्थापित करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल कृषि की भूमि है और यहां विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। सौर सिंचाई पंप लगाकर कृषि को और अधिक विकसित किया जा सकता है तथा बिजली की बचत की जा सकती है। यदि सरकार अनुमति देती है, तो मैं यथाशीघ्र सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करके जमा कर दूंगा। इस निर्णय से किसानों का जीवन खुशहाल और उन्नत हो सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास भी जगाया जा सकता है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अतः, मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि सिंचाई के लिए सौर सबमर्सिबल वाटर पम्प लगाने के लिए सरकार द्वारा कितनी राजसहायता दी जा सकती है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं और इस गंभीर मुद्दे पर गहन विचार किया जाए |

(सत्रह) नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित मामलों के बारे में

श्रीमती चिंता अनुराधा (अमलापुरम): नवोदय विद्यालय समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिनकी भर्ती 01.01.2004 से पहले हुई थी, उन्हें 1972 जी.ओ.आई पेंशन लागू नहीं होने के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न संसदीय समितियों ने भी 154वें, 184वें और 198वें प्रतिवेदनों में कर्मचारियों के लिए जीपीएफ सह पेंशन योजना प्रारंभ करने की जोरदार अनुशंसा की है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे की जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाए और नवोदय विद्यालय समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जिनकी भर्ती 01.01.2004 से पहले हुई थी) के संबंधित मामले के निपटान हेतु 1972 की भारत सरकार पेंशन/वार्षिक पेंशन योजना लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे।

(अठारह) महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों को जलमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): मेरा लोक सभा क्षेत्र ठाणे खाड़ी किनारे बसा एक शहर है जिसकी जनसँख्या लगभग 11,834,886 है। वहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। इसे देखते हुए ठाणे मनपा ने ठाणे, वसई, भयंदर, भिवंडी, कल्याण(डोम्बिवली) को आपस में जल यातायात के माध्यम से जोड़ने के लिए 7.5 करोड़ रूपये खर्च करके डीपीआर तैयार किया था जिसे 17 जुलाई 2016 को तत्कालीन शिपिंग मंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया था। यह परियोजना 627 करोड़ रूपये की थी जिसमें 10 जेट्टी, 03 केटमरेन बोट और एक मल्टी मॉडल हब बनाना प्रस्तावित था जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 100 प्रतिशत अनुदान देने का आश्वासन दिया गया था।

तत्कालीन शिपिंग मंत्री ने उक्त परियोजना को संशोधित करके 4 जेट्टी, ठाणे(कोलशेत), भिवंडी(कालेर) डोम्बिवली और मीराभयंदर की लगभग 96.78 करोड़ रूपये को अपनी मंजूरी सागरमाला योजना के अंतर्गत दी थी जिसमें 50-50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार देने वाली है लेकिन 2019-20 में कोविड के कारण काम शुरू नहीं हुआ।

इस परियोजना के पहले चरण का काम और दूसरे चरण जिसमें ठाणे-ऐरोली-बेलापुर-मुंबई शहर आते हैं जहाँ पहले से ही जेट्टी बनी हुई है, का भी काम जल्दी शुरू करने के लिए संबंधित विभाग को जरुरी निर्देश देने की कृपा करें।

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में

[अनुवाद]

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): मैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती (01/12/2018 को अधिसूचना जारी की गई, 6/1/2019 को परीक्षा आयोजित की गई) में लागू की गई आरक्षण नीति में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित मामला उठाना चाहता हूं।

इस संबंध में, मैं निम्नलिखित मुद्दे उठाना चाहता हूं:

सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग {ओ.बी.सी}, अनुसूचित जाति {एस.सी},अनुसूचित जनजाति {एस.टी} और दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी उम्मीदवार माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावज़ूद आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति आरक्षित सीटों पर ही की जा रही है।

सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 67.11% थी और ओ.बी.सी. कट ऑफ 66.73% थी। इसके अलावा 27% ओ.बी.सी. आरक्षण के प्रावधान के अनुसार ओ.बी.सी. के लिए 18598 सीटें होनी चाहिए थीं परंतु ओ.बी.सी. के लिए केवल 2637 सीटें आवंटित की गई हैं जो मात्र 3.86% आरक्षण है। इसी तरह, एस.सी. के लिए 21% संवैधानिक आरक्षण, जो 14490 सीटें होती हैं, की बजाय 11265 सीटों पर एस.सी. उम्मीदवारों की भर्ती की गई,जो मात्र 16.60% आरक्षण है। इस प्रकार, 15961 ओ.बी.सी. और 3225 एस.सी. अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग (एन.सी.बी.सी/07/10/1ण /2020) का प्रतिवेदन कब लागू किया जाएगा जो उपरोक्त टिप्पणी और उम्मीदवारों की शिकायतों की संगति में है।

हज़ारों छात्र पिछले 6 महीने से लखनऊ के इको जोन में धरने पर बैठे हैं। उनकी बात कब सुनी जायेगी?

(बीस) मेडिकल कॉलेजों में नॉन मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम सीमा को कम किए जाने संबंधी नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. सेल्वराज (नागापट्टिनम): मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में नॉन मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा को कम करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके कारण लगभग 6000 नॉन मेडिकल शिक्षक नेशनल मेडिकल कमीशन के नए दिशानिर्देशों के बाद बेरोज़गार होने के कगार पर हैं। नॉन मेडिकल शिक्षकों को चिकित्सा शिक्षण और नैदानिक अध्ययन दोनों का अभिन्न घटक माना जाना चाहिए , जैसा कि दुनिया के अनेक देशों में माना जाता है। उनको सहायता देने, उन्हें अपग्रेड करने, या उनका बेहतर उपयोग करने के बजाय, एन.एम.सी. उनको नौकरी से निकाल रहा है।

वर्तमान में, अनेक कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के कारण नॉन मेडिकल शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से, गैर-नैदानिक विशेषज्ञों की कई पी.जी. सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए, चिकित्सा शिक्षकों की कमी कई वर्षों तक बने रहने की संभावना है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नॉन मेडिकल शिक्षकों की सहायता करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्णय को वापस लेने हेतु तत्काल उचित कदम उठाए जाएं।

(इक्कीस) सोलर चर्खे से निर्मित धागे को 'खादी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मैं माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री का ध्यान देशभर में सोलर चरखा से निर्मित सूत को खादी का दर्जा दिए जाने से सम्बंधित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के साथ-साथ खादी उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से सोलर चरखा से खादी धागे के उत्पादन की नई तकनीक विकसित की गई है। सर्वप्रथम जून 2018 में, सूक्ष्म,लघु और मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने "मिशन सोलर चरखा" की शुरुआत की थी, जो भारतीय हरित खादी ग्रामोदय संस्थान के द्वारा नवादा (बिहार) में लागू किया गया था तथा यह एक सफल पायलट परियोजना थी। इस मिशन के तहत, भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपये के बजट के साथ 50 सौर चरखा समूहों को मंजूरी दी थी। मिशन सौर चरखा के पीछे का लक्ष्य ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करना था | उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने खादी की अवधारणा में "सौर चरखा" के प्रभाव और महत्व को देखा था एवं सोलर चरखे में ग्रामीण भारत, खासकर महिलाओं के बड़ी संख्या में आजीविका के अवसर पैदा करने का कौशल, पैमाना और गति को समझा था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं पलायन एक बड़ा मुददा है एवं गाँव में रहने वाले कई ऐसे लोग है जो शिल्पकार भी है, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण एवं उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें बेरोजगारी में रहना पड़ता है। मै देश को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी (जोकि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्मक्षेत्र के साथ-साथ जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन का केंद्र-बिंदु भी था) के सेवापुरी में केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 500 सोलर चरखा एवं 100 लूम लगाए गए, जिसका सफल संचालन रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवाओ को स्वरोजगार का अवसर मिला | उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी सोलर चरखे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इससे निर्मित धागे को खादी का दर्जा दिया गया है। अगर भारत सरकार के द्वारा सोलर चरखे से निर्मित धागे को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में खादी का दर्जा दिया जाता है

तब यह निर्णय सम्पूर्ण भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय होगा और वह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरो में हो रहे पलायन को रोकने एवं स्व रोजगार से लोगो को जोड़ने के साथ-साथ एक नवीन भारत के निर्माण में भी सहायक होगा | अत: मैं माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी के साथ-साथ भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रो में बढ़ती बेरोजगारी के चलते शहरों की ओर लगातार हो रहे पलायन को रोकने तथा स्व रोजगार के अवसर को बढाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया सोलर चरखा मिशन के तहत सौर चरखा से निर्मित धागे को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर खादी का दर्जा दिया जाए।

(बाईस) झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को जोड़ने और जलाशय योजनाओं के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): झारखंड का गोड्डा संसदीय क्षेत्र इस देश का एक अत्यंत पिछड़ा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के आदिवासियों और पिछड़े लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें स्वच्छ पेयजल की समस्या सबसे अधिक विकट है।

इस पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या सबसे विकट है। वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में एक साल वर्षा होती है और उसके बाद दो वर्ष सूखा पड़ता है तथा इस क्षेत्र में ट्यूबवेल भी कारगर नहीं हैं।

इसलिए, मैं क्षेत्र में इस समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित ब्लॉकों को विभिन्न नदियों और जलाशय योजनाओं से जोड़ने का अनुरोध कर रहा हूं :

गोड्डा जिला :-

1- ठाकुरगंगटी, मेहरमा ब्लॉक - गंगा नदी

2- बसंतराय, पथरगामा, गोड्डा - सुन्दर जलाशय

3- पोरियाहाट - सुग्गाबथान जलाशय परियोजना।

दुमका जिला :-

1- सरियाहाट - पुनासी जलाशय योजना

2 – झारमुंडी – मसानजोर जलाशय योजना

देवघर जिला:-

1-मधुपुर, सरवन, देवघर ब्लॉक और शहर, सोनारैथाड़ी - पुनासी जलाशय योजना

2- देवीपुर, मधुपुर शहर और ब्लॉक, मार्गोमुंडा-बुदाई जलाशय योजना

3 – करों - सिकटिया

(तेईस) नन्दुरबार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नंदुरबार): नंदुरबार निर्वाचन क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मानव विकास सूचकांक में यह क्षेत्र निचले स्थान पर है एवं यहां कुपोषण दर अधिक है | नन्दुरबार में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने वाले मानक शिक्षण संस्थानों की कमी हैं। नंदुरबार जिले के छात्र उच्च नियोजन {प्लेसमेंट} दर और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किए जाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रोज़गार के लिए देश के अन्य भागों में पलायन करना पड़ता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सी.आई.पी.ई.टी.) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, जिसके 43 केंद्र कार्यशील हैं जो पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। नन्दुरबार जिले में सी.आई.पी.ई.टी. सेंटर की स्थापना से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। सी.आई.पी.ई.टी.का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 85-90% है जिसमें प्लास्टिक उद्योग के साथ नियमित रूप से संपर्क किया जाता है। लघु और दीर्घकालिक अवधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से सी.आई.पी.ई.टी. सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षण के साथ छात्रों के लिए बेहतर करियर का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में, महाराष्ट्र में सी.आई.पी.ई.टी. के केवल 2 केंद्र हैं और उत्तर महाराष्ट्र में एक केंद्र की स्थापना किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि वहां इसकी संभावना बहुत अधिक हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि रोजगार के अवसरों का सृजन करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नन्दुरबार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एक केंद्र को मंजूरी दी जाए।

(चौबीस) ओडिशा के बारगढ़ जिले में सम्बलपुरी वस्त्रों के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बसंत कुमार पांडा (**कालाहांडी**): मै सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी, ओडिशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसमें दो जिले नुआपाड़ा और कालाहांडी है और दोनों ही आदरणीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। पिछड़ा जिले होने के कारण यह क्षेत्र विकास से बहुत दूर है, जिसके कारण लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में अपनी जीविका के लिए जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर वापिस आ गए है और ओडिशा सरकार उनको रोजगार देने में असमर्थ है। ओडिशा प्रदेश वस्त्र और हथकरघा के लिए सुप्रसिद्ध है। अकेले संबलपुर में 3 लाख बुनकर रहते हैं और पूरे देश में संबलपुरी वस्त्रों की मांग है।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए जिला बरगढ़ में एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और संबलपुरी वस्त्र अनुसंधान केंद्र खोला जाए, जिससे कि इन सभी लोगो को रोजगार मिले सके।

(पच्चीस) बिहार में सिवान से गरखा तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज,बिहार से गुजरने वाली सिवान से सिकटिया, जनता बाजार, पैगम्बरपुर, एन.एच.-331 एवं एस.एच.-90 होते हुए गरखा एन.एच.-102 तक की सड़क अतिमहत्वपूर्ण एवं व्यस्तम सड़क है। यह सड़क सीधे हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को राज्य की राजधानी पटना और उत्तर बिहार के सबसे प्रमुख व्यवसायी केंद्र मुजफ्फरपुर तक जाने-आने की सुविधा प्रदान करती है। इस सड़क से हमारे संसदीय क्षेत्र के हजारों-हजार व्यवसायी, छात्र-छात्रायें,सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मी प्रतिदिन अपने-अपने कार्य हेतु आवागमन करते हैं। इसी तरह अनेकों प्रकार के भारी वाहनों से माल /वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी इस सड़क के माध्यम से होता है।

अत : ऐसी महत्वपूर्ण सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित कर नवनिर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है| इसलिए सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से मेरी माँग है कि उक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

(छब्बीस) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्षा उपकरण निर्माण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र अंबाला की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अंतर्गत दो कंटोनमेंट बोर्ड पंचकूला, अंबाला छावनी पड़ते हैं | सामाजिक दृष्टि से अंबाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। चीन व पाकिस्तान की सीमाओं की दूरी यहां से 200 या 300 किलोमीटर के लगभग पड़ती है । जब भी भारत-पाकिस्तान व् भारत- चीन युद्ध हुआ, अंबाला एयरबेस को शत्रु ने हमेशा निशाना बनाना चाहा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में रक्षा उपकरण बनाने व् इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके "मेक इन इंडिया" व 'मेक फॉर दी वर्ल्ड', की नीति अपनाई गई है। पहले भी अंबाला में सेना के उपकरण बनते रहे हैं। अंबाला साइंस का समान बनाने में भी विश्व प्रसिद्ध है। अब भारत रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता की नीति पर कार्य कर रहा है।

मैं मांग करता हूं कि अंबाला में रक्षा उपकरण बनाने के लिए उद्योग स्थापित किए जाएं |

(सत्ताईस) बैंको द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों में लोक सभा सदस्यों की भागीदारी के बारे में

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ.प्र.) में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्रीय संचालित योजनाओं यथा-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना इत्यादि से संबंधित जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बैंकों द्वारा उसकी कोई भी जानकारी स्थानीय सांसद को नहीं दी जाती है और न ही उनके द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में स्थानीय सांसद को आमंत्रित किया जाता है। यह एक जन-प्रतिनिधि का अपमान है। जबकि केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही प्रत्येक योजनाओं के कार्यक्रम में स्थानीय सांसदों की भी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक किन-किन तिथियों में केन्द्रीय योजनाओं के संचालन हेतु कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा उनमें स्थानीय सांसद को किन-किन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है और किन-किन में नहीं, इसकी केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर जांच करवाकर बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेवारी सुनिश्चित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए और भविष्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में संचालित होने वाली केन्द्रीय योजनाओं में क्षेत्रीय सांसद की भूमिका सुनिश्चित किए जाने हेतु भी समुचित कदम उठाए जाएं।

(अड्डाईस) बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की रोजगार संभावना के बारे में

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर जल योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत झीलों तथा नदियो के पानी को साफ कर देश के ऐसे सभी ग्रामों में पीने योग्य पानी पहुंचाये जाने का लक्ष्य रखा गया। इस जल जीवन मिशन को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया गया, ताकि 2024 तक गांवों में हर घर में घरेलू नल कनेक्शन हो सके।

मेरा संसदीय क्षेत्र झाँसी व ललितपुर जो कि बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आता है, जिसकी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। यहां संसाधनों की कमी के चलते लोगों को पेयजल हेतु विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन इस क्षेत्र में काम कर रहे युवा दिमाग, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, उद्यमियों, स्टार्ट-अप से लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने और ज्ञान अंतराल को भरने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं यदि इस योजना से जुड़े उपकरण निर्माण, उनके रख-रखाव व स्थापन प्रक्रिया को कौशल से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले ताकि लोगों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके।

(उनतीस) ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन के क्षेत्राधिकार में कुछ रेल खंडों को शामिल किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री नितेश गंगा देब (सम्बलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र सम्बलपुर के बामरा, गारपोश और टंगरमुंडा रेलवे स्टेशन वर्तमान में दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के साथ-साथ रेल कर्मचारियों को चक्रधरपुर में रेलवे और विभाग संबंधी कार्यों को करवाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह स्थान बामरा से लगभग 500 कि.मी. दूर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के राउरकेला झरसुगुड़ा खंड, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के झरसुगुड़ा रायगढ़ खंड और पश्चिमी ओडिशा के समस्त रेल नेटवर्क को बेहतर प्रशासनिक और रेल परिचालन दक्षता के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे के सम्बलपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। मैं रेल मंत्रालय से वर्ष 2021-22 के दौरान इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(तीस) अजमेर-चंडीगढ़ राजमार्ग या किशनगढ़-हनुमानगढ़ बृहत् राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित और घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): किशनगढ,अजमेर से हनुमानगढ़ के मध्य दो लेन के 406 किमी मेगाहाइवे का संचालन वर्ष 2008 से रिडकोर के माध्यम से हो रहा है जहां प्रतिदिन 20 से 22 हजार की संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है। उक्त मेगाहाईवे पर ट्रैफिक का भारी दबाव है और गंभीर,दुर्घटनाएं,जनहानि, ट्रैफिक जाम की समस्याएं हो रही है। उक्त मेगाहाइवे को अब राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किये जाने की महत्ती आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा भारत-माला योजना के तहत वर्ष 2017-18 में अजमेर-चंडीगढ़ वाया किशनगढ,डीडवाना,रतनगढ़,हनुमानगढ़ 500 किमी सड़कमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्मित कराने की डीपीआर भी वर्ष 2018-19 में तैयार हो चुकी है लेकिन मूर्त रुप नहीं मिला, उक्त मेगाहाइवे को फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाता है तो राष्ट्रीय-राजमार्ग-प्राधिकरण को पूर्व में भूमि अधिग्रहित होने से मुआवजा भी कम देना पड़ेगा और इससे पूर्वी राजस्थान-पंजाब-गुजरात, मध्यप्रदेश से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त भारतमाला घोषणा अंतर्गत प्रस्तावित अजमेर-चंडीगढ़ तक 500 किलोमीटर हाइवे अथवा किशनगढ़ से हनुमानगढ़ तक संचालित 406 किलोमीटर मेगा हाइवे को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कर आगामी बजट वर्ष 2022-23 की विभागीय-कार्ययोजना में सम्मिलित करावे।

(इकतीस) किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): आज राजस्थान के कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारी दफ्तरों में बैठकर कृषि का विस्तार कैसे कर सकते हैं। प्रशासनिक तंत्र को खेत पर खड़े होकर किसान को नई तकनीक तथा प्राकृतिक कृषि के बारे में प्रेरित करने का काम करना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ कृषको तक नहीं पहुंचता। कथित भ्रष्टाचार के कारण किसान को लाभ नहीं मिल सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि जन-धन खातों के माध्यम से किसान कल्याण निधि की व्यवस्था की तर्ज पर स्कीमों के लाभ भी कृषकों को सीधे उनके खातों में दिए जाये। कृषि विज्ञान केन्द्रों को सुदृढ़ कर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाये। प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार को सूचना प्रसारण तंत्र के माध्यम से व्यापक बनाया जाये। जैविक खेती की उपज की खरीद उचित मूल्य पर करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिनांक 16.12.21 को प्राकृतिक खेती पर विचार सुनने के बाद जनता स्वास्थ्य के प्रति अवश्य जागरूक होगी। किन्तु साधारण किसान तक यह विचार पहुंचे, इसके लिए जागरूकता तंत्र को व्यापक बनाया जाने की कार्यवाही किस प्रकार होगी, यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

(बत्तीस) ओडिशा में तटीय नहर को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रताप चंद्र षड्डगी (बालासोर): तटीय नहर तटीय ओडिशा की जीवन रेखा है। गाद जमा होने और अतिक्रमण के कारण यह क्षेत्र अब बाढ़ग्रस्त हो गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान, इस नहर का उपयोग जलमार्ग के रूप में किया जाता था। मैंने इस नहर के पुनरुद्धार और रखरखाव के लिए संबंधित मंत्री को बार-बार पत्र लिखा है। इसे अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त किया जाए, ताकि क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। किसान और व्यापारी अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग कर सकते हैं जो सस्ता और सुलभ होगा। इसका उपयोग मछली पालन, विद्युत् उत्पादन और सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। इस नहर का पुनरुद्धार किए जाने से स्थानीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मैं निवेदन करता हूँ कि इस दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं।

(तैंतीस) तेलंगाना में जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में

श्री उत्तम कुमार रेड्डी (नलगोन्डा): अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य में जनजातीय जनसंख्या 6 प्रतिशत थी और इसलिए शिक्षा और रोज़गार में जनजातीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया था। वर्ष 2014 में नए राज्य तेलंगाना के गठन के बाद राज्य की जनजातीय जनसंख्या कुल आबादी का 10 प्रतिशत हो गई। तेलंगाना की टी.आर.एस. सरकार ने तेलंगाना विधानसभा में और बाहर यह बताया है कि उन्होंने जनजातीय समुदाय में कुछ और समुदायों को शामिल करने के बाद तेलंगाना में जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने से संबंधित कोई वक्तव्य पिछले कई वर्षों से नहीं दिया गया है। हमारी मांग यह है कि भारत सरकार द्वारा तेलंगाना में जनजातीय व्यक्तियों को उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार आरक्षण देने की अनुमति तत्काल दी जाए।

(चौंतीस) आन्ध्र प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के बारे में

श्री मद्दीला गुरुमूर्ति (तिरुपति): आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नाडु नाडु पहल के माध्यम से राज्य में विद्यमान मेडिकल कॉलेजों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। हालांकि राज्य का विभाजन होने के बाद, आंध्र प्रदेश में श्रेणी-एक के बड़े महानगर न होने के कारण निजी क्षेत्र के लिए सुपर स्पेशियलिटी हेल्थ केयर सेवाएं स्थापित करना मुश्किल हो गया है।

इस अंतर को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है, जहां कोई सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है ताकि मानव संसाधन को बढ़ाया जा सके और लोगों की तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। इस प्रयोजनार्थ 8000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 16 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में वर्तमान में केवल 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जबकि 25 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो तमिलनाडु या राजस्थान जैसे अन्य बड़े राज्यों की तुलना में कम हैं।

चूंकि तीन कॉलेजों के लिए मंजूरी पहले ही दे दी गई है,अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले शेष 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेज़ी लाए और वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(पैंतीस) यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट दिए जाने के बारे में

श्री मारगनी भरत (राजामुन्दरी): कोरोना महामारी से शिक्षा सहित प्रत्येक क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है| लगातार कोविड ड्यूटी और एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देशों के कारण डॉक्टर, कर्मचारी और अन्य कोरोना योद्धा यू.पी.एस.सी. परीक्षा के लिए समुचित तैयारी नहीं कर पाए हैं।

इसके अलावा, कई छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में गृहनगर वापस चले गए, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री की कमी, खराब इंटरनेट सुविधाओं, शारीरिक/मानसिक दबाव, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 200-300 किलोमीटर दूर परीक्षा केन्द्र होना, वित्तीय संकट आदि जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, कई अभ्यर्थियों ने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया जिससे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए।

मैं जानता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को छात्रों के पक्ष में उदार दृष्टिकोण अपनाने का भी निर्देश दिया था और कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात आदि ने अपनी राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में छूट भी दी है।

अतः, मैं माननीय प्रधानमंत्री से 2020 और 2021 की यू.पी.एस.सी. परीक्षा के लिए अतिरिक्त 2 प्रयास और 2 साल की छूट देने संबंधी छात्रों की मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(छत्तीस) आशा कर्मियों की वित्तीय सुरक्षा के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) आबादी के वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। देश भर में आशा स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने अनेक अवसरों पर असंगत वेतन और अनुचित कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। औसतन, आशा श्रमिकों को 1,000- 4,000 रुपए के मानदेय का भुगतान किया जाता है। उन्हें नाममात्र के प्रोत्साहन के अलावा कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं मिलता है| कोविड-19 के लिए शहर में रहने वाले सभी निवासियों की जाँच, होम आइसोलेशन में रोगियों की निगरानी, लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने और सरकार द्वारा निर्धारित सर्वेक्षणों को कार्यान्वित करने में आशा कार्यकर्ता लगभग दो वर्षों से महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्राथमिक स्तर पर काम कर रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को उनके स्वास्थ्य की चिन्ता किए बिना और उचित मुआवजे के बिना काम करने के लिए कहा गया है। उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा भी नहीं मिलती है। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में 54000 आशा कार्यकर्ता हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को स्वीकार किया जाए और उन्हें निश्चित वेतन के माध्यम से उचित पारिश्रमिक देकर या उन्हें दिए जा रहे मानदेय की राशि में वृद्धि करके उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए।

(सैंतीस) महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फेरो एलॉय परियोजना की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): मेरे रामटेक संसदीय क्षेत्र में मैगनीज़ ओर इंडिया लि. (एम.ओ.आई.एल) की कई खदाने हैं | यहाँ मैगनीज़ से बनने वाले अनेक उत्पाद बनाये जा सकते हैं । वर्ष 2019 मे गुमगाव (तह. सावनेर) में फेरोएलाय प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। इस फेरोएलाय प्रोजेक्ट के माध्यम से 'मॉयल' न सिर्फ खनन में बल्कि मिश्र धातु उत्पाद करने वाली देश की मिनीरत्न कंपनी के तौर पर पहचान बना सकेंगी। पिछले तीन सालों से इस प्रकल्प ने गति नहीं पकड़ी है, जिससे फेरोॲलाईस प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ने की आशंका है। फेरोएलाय प्रोजेक्ट तैयार होने पर स्थानीय होने से इसके माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ-साथ कई अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा और इनका जीवन समृद्ध होगा; लेकिन मॉयल के निदेशक मंडल ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई है जिसके कारण उम्मीद लगाये अनेक स्थानीय युवा निराश हैं। सरकार से निवेदन है कि गुमगाव में प्रस्तावित मॉयल के फेरोएलाय प्रोजेक्ट को गतिमान करने हेतु मॉयल प्रबंधन को निर्देश दे, इस फेरोएलाय प्रोजेक्ट को गतिमान कर इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करे, ताकि इससे लोगों को रोजगार मिल सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके! धन्यवाद।

(अड़तीस) बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को देश का सर्वाधिक गरीब राज्य बताया गया है। बिहार में प्राकृतिक संसाधनों व जलीय सीमा के अभाव तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व भी इसका एक कारण है। इसके साथ-साथ बिहार बाढ़ व सुखाड़ से प्रभावित प्रदेश भी है। केन्द्र सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी अभी तक कोई पहल नहीं की है, जबकि उत्तर के 3 राज्य जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश एवं नार्थ-ईस्ट के सभी 8 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहाँ औद्यागिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। बिहार में पब्लिक सेक्टर की स्थापना के लिए कोई पहल नहीं की गई। इसके साथ ही बिहार हरित-क्रांति के लाभ से भी वंचित रहा, जिसका परिणाम हुआ कि राज्य में कृषि का संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है, जिससे वहाँ विभिन्न विकास योजनाओं में राज्य का भार कम होगा। इससे बिहार आर्थिक सब्सिडी और टैक्स देने में सक्षम होगा। यह निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जिससे दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से उत्तर के 3 राज्य और नार्थ-ईस्ट में केन्द्र की पहल का जो परिणाम आया है वही परिणाम बिहार में भी विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्राप्त होगा। निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को टैक्स में छूट, 10 वर्षों के लिए आयकर से छूट और 30 प्रतिशत की सब्सिडी ही दीर्घकालिक औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक है। अतः मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माँग को आगे बढ़ाते हुए केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि नार्थ-ईस्ट के राज्यों की तर्ज पर बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये जिससे कि राज्य एवं देश का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ सके।

(उनतालीस) ओसीआई कार्डहोल्डर्स से संबंधित सरकारी अधिसूचना के बारे में

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): 04.03.2021 की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में शैक्षणिक अवसरों के मामले में ओ.सी.आई. कार्डधारकों को अन्य विदेशी नागरिकों के समान माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रवासी ओ.सी.आई. कार्डधारक नागरिकों को एन.आर.आई. माना गया। उन्हें सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत नहीं अपितु केवल एन.आर.आई. कोटा या अतिरिक्त सीटों के अन्तर्गत पात्र माना जायेगा। इससे देश में उच्चतर शिक्षा की पढ़ाई जारी रखने वाले युवा प्रभावित हुए हैं।

हालाँकि मैं इस अधिसूचना के उद्देश्य का समर्थन करता हूं, लेकिन यह बेहतर होगा कि इसके लागू होने की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए | इससे यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले छात्रों को परेशानी नहीं होगी और उनका शैक्षणिक करियर अचानक समाप्त नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.09.2021 के अपने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 शैक्षणिक वर्ष के लिए यू.जी. नीट में शामिल होने वाले ओ.सी.आई. उम्मीदवारों को अस्थायी राहत दी। अन्य उच्च न्यायालयों ने भी अपने फैसलों में इस निर्णय को दोहराया है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेश पर विचार किया जाए और अधिसूचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

विदाई संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम 17वीं लोक सभा के **7**वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। यह सत्र 29 नवम्बर, 2021 को आरम्भ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें हुईं, जो 83 **घंटे** 20 मिनट तक चलीं। सत्र के आरंभ में सदन के **3** नए माननीय सदस्यों ने 29 **और** 30 नवम्बर, 2021 को शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए तथा 9 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 और निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 हैं।

20 **दिसम्बर**, 2021 को पारित वर्ष 2021-22 हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों **-** दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान 04 घंटे **और** 49 मिनट तक चले। सत्र के दौरान 91 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। 20 दिसम्बर, 2021 **को** 20 तारांकित प्रश्नों की पूरी सूची को कवर किया गया।

माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन 383 लोक-हित के विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उन्हें सभा पटल पर रखा गया। शून्य काल के दौरान सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के 563 मामलों को भी उठाया गया। दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 को सदन में देर रात तक बैठकर 62 माननीय सदस्यों ने शून्य काल के तहत अपने विषय सभा के समक्ष रखे। उनमें 29 महिला माननीय सदस्य उपस्थित थीं। सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्र के दौरान संसदीय समितियों और सभा **में** 44 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 50 वक्तव्य दिए गए, जिसमें माननीय संसदीय राज्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य से संबंधित 3 वक्तव्य भी शामिल हैं। सत्र के दौरान विभिन्न

मंत्रियों द्वारा 2658 पत्रों को सभा-पटल पर रखा गया। सभा में देश में 'कोविड-19 वैश्विक महामारी' और 'जलवायु परिवर्तन' के संबंध में दो अल्पकालिक चर्चाएं भी की गईं।

'जलवायु परिवर्तन' पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। 'कोविड-19 वैश्विक महामारी' पर 12 घंटे 26 मिनट तक चर्चा चली। कुल 99 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, जिसमें कोविड-काल में अपने क्षेत्रों में किए गए बेहतरीन कार्यों को सदन के साथ साझा किया। दूसरी अल्पकालिक चर्चा 'जलवायु परिवर्तन' पर थी, जिसमें अभी तक 61 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। यह चर्चा अभी 6 घंटे 26 मिनट तक चली है।

माननीय सदस्यगण, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 2 दिसम्बर, 2021 को सभा का कार्य निष्पादन 204 प्रतिशत रहा। सत्र के दौरान सभा का कुल कार्य निष्पादन 82 प्रतिशत रहा। वर्तमान सत्र में कार्य के लिए आवंटित कुल समय में से व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की बात करें, तो सत्र के दौरान शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021 को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 145 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा 'अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019' पर आगे चर्चा 3 दिसम्बर, 2021 को जारी रही, जो उस दिन भी पूरी नहीं हो पाई।

इसी प्रकार, श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय' के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा 10 दिसम्बर, 2021 को जारी रही और उस दिन पूरी नहीं हो पाई।

माननीय सदस्यगण, 1 दिसम्बर को मंगोलिया की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष महामहिम गोम्बोजव जैन्डानशैटर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने सभा की कार्यवाही को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध को एक नया बल मिला है।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूँ।

मै इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूँ।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई कुशल सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अब हम सभी "वन्दे मातरम्" के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित